हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला-176215 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

23.12.2016/1100/जेके/एएस/1

प्रश्न संख्याः 2657

श्री अनिरुद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि यह जो लिस्ट यहां पर दी गई है वह पूरी नहीं दी गई है। कृपा करके कसुम्पटी चुनाव क्षेत्र में जो-जो उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं उसकी पूरी लिस्ट देने के लिए अधिकारियों को आदेश दें। साथ ही 4 नम्बर पर परिवहन विभाग ने लिख करके दिया है कि सड़क का लोकार्पण कर, इसके ऊपर बस चल रही है। मैं इस बारे में बोलना चाहूंगा कि जो 4 नम्बर पर शिलौनबाग से दरभोग और 3 नम्बर पर जंगल जटोल से कुफर ये सड़कें लोक निर्माण के अधीन हो चुकी है, परन्तु इनके ऊपर अभी तक बस नहीं चली है। कृपया करके इनके ऊपर बस शीघ्रातिशीघ्र चलवाई जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, य**दि किसी सड़क पर बस नहीं चल रही है तो मैं परिवहन मंत्रालय को कहूंगा और परिवहन मंत्री जी भी यहां पर है कि इन सड़कों पर बस चलवाई जाए।**

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह प्रश्न केवल विधान सभा क्षेत्र कसुम्पटी से सम्बन्धित है लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो शिलान्यास किए जाते हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

23.12.2016/1105/SS/AG/1

प्रश्न संख्याः 2657(स्थगित) क्रमागत

श्री जय राम ठाकुर क्रमागतः

लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो शिलान्यास किये जाते हैं क्या इसके लिए सरकार ने कोई नियम निर्धारित किये हैं? अगर किये हैं तो वे कौन-कौन से नियम हैं, क्या उसकी थोड़ी-सी जानकारी दे सकते हैं? दूसरा मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि मुख्य मंत्री जी स्वयं शिलान्यास या उद्घाटन के लिए उपस्थित नहीं होते हैं लेकिन उसके बावजूद पत्थर उनके नाम के लगाये जा रहे हैं। स्थानीय नेता अपना नाम लगाकर साथ में मुख्य मंत्री का नाम लगाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की अनुमति मुख्य मंत्री कार्यालय से दी गई है?

तीसरा मैं अध्यक्ष महोदय यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत पहले शिलान्यास हो गये हैं लेकिन कई सालों के बाद फिर से उनके शिलान्यास किये जा रहे हैं। तो क्या सरकार ने पहले हुए शिलान्यासों को निरस्त करके नए सिरे से शिलान्यास करने की कुछ नेताओं को अनुमति दी है?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य छायावाद में बात कर रहे हैं। अगर वे स्पष्टवाद में बात करें कि कहां के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे जवाब देने में सहूलियत होगी। मगर मैं मूलतः यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री की अनुमति से जो नए पत्थर रखने हैं उन पत्थरों को शिलान्यास करने की पूर्व अनुमति प्राप्त करते हैं उसके बाद ही शिलान्यास होता है। जहां तक अगर किसी कार्य का पहले शिलान्यास हुआ है तो उनका पुनः शिलान्यास करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

23.12.2016/1105/SS/AG/2

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पैसिफिक केस के बारे में कहा है। मैं एक स्पैसिफिक उदाहरण दे रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, बालीचौकी का शिलान्यास मैंने मंत्री रहते हुए 27 मई, 2012 को किया था लेकिन उसके बावजूद आपके दल के एक नेता जो मिल्क फैडरेशन में चेयरमैन

हैं उन्होंने फिर से उस शिलान्यास का कार्यक्रम वहां पर रख दिया। जब वहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम रख दिया तो एस0एम0सी0 के प्रधान ने प्रिंसीपल को लिख कर दिया कि शिलान्यास 27 मई, 2012 को हुआ है और बजट प्रावधान भी उसी के अनुरूप है, उसी बिल्डिंग के लिए है, दोबारा शिलान्यास नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि यह आदेश है यह करना ही होगा। पहले पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेश किये तो उन्होंने वहां पर शिलान्यास की पट्टिका खड़ी कर दी। उसका स्ट्रक्चर बनाकर वहां खड़ा कर दिया। बाद में जब अधिकारियों ने पीछे हटकर कहा कि यह नहीं किया जा सकता है तब जाकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को उस काम में लगा दिया। अंततोगत्वा यह हुआ कि अभिभावकों ने वहां पर जा करके उस शिलान्यास पट्टिका को तोड़ दिया। उसके फलस्वरूप माननीय मुख्य मंत्री जी एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है। एक घटना मैं यह बता रहा हूं। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं। दूसरी घटना मैं एक और बता रहा हूं। आपने स्पैसिफिक केस का ज़िक्र किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पी0एच0सी0, बागाचनोगी और एक पी0एच0सी0, खोलानाल है। उन दोनों के उद्घाटन हुए। इसी माननीय सदन में मैंने प्रश्न पूछा था, जिसका जवाब स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी ने दिया। मैंने पूछा था कि क्या इन दोनों पी0एच0सीज़0 के उद्घाटन की अनुमति ली गई थी। इन्होंने कहा कि विभाग को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। न ही विभाग से अनुमति मांगी गई और न ही विभाग ने अनुमति दी है। तीसरा, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में विधायक प्राथमिकता की दो सड़कें हैं। मगरूगलां से छतरी बाया लस्सी और उसके बाद राणाबाग बिहनी है। उन दोनों सड़कों का काम टैंडर होने के बाद शुरू हो गया था लेकिन पिछले कुछ दिन पहले पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के अधिकारियों को आदेश किया कि इसका भूमि

23.12.2016/1105/SS/AG/3

पूजन करना है और भूमि पूजन की रस्म वहां पर की गई। पहले भी वहां पर इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम विधिवत् रूप से हो चुका था। इस प्रकार से एक मज़ाक बन गया। इन

सारी बातों को ले करके एक अजीब परिस्थिति पैदा हो गई। आपका नाम पी0एच0सी0, बागाचनोगी की उद्घाटन पट्टिका पर लगा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आप खोलानाल कभी नहीं गये, आपका बागाचनोगी में भी जाना नहीं हुआ लेकिन दोनों जगह आपके नाम की उद्घाटन पट्टिका लगी हुई है। अपना नाम भी साथ में लिखा हुआ है और आपका नाम भी साथ में लिखा हुआ है। यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं क्योंकि आपने कहा था कि स्पैसिफिक केस ध्यान में लाओ।

जारी श्रीमती के0एस0

23.12.2016/1110/केएस/एएस/1

प्रश्न संख्या 2657 जारी--

श्री जय राम ठाकुर जारी----

क्या आप इस सारे मामले में उनको निर्देश देंगें कि कम से कम इस प्रकार से सरकार की ओर से कोई भी नीति नहीं है और इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि किसी भी सड़क, भवन का उद्घाटन बिना सरकार की अनुमति से नहीं हो सकता और कौन उसका उद्घाटन करेगा,उसकी भी प्रक्रिया है। जैसे कि माननीय विधायक महोदय ने कहा है इसमें अगर उन्होंने कहीं पर पट्टिका रखी है, उसके बाद किसी दूसरे की पट्टिका रखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता बशर्ते कि वह पट्टिका सरकार की पूर्वानुमति से लगी हो।

श्री इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने स्पैसिफिक इग्ज़ैम्पल की बात की है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बलद्वाड़ा के डिग्री कॉलेज के भवन का शिलान्यास किया। उसके तत्काल बाद इनके राजनीतिक सलाहकार ने वहां भूमि का पूजन किया। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं

कि इसका क्या औचित्य है ? अगर उसको विभाग की परमिशन मिली है तो ठीक है और अगर नहीं मिली है तो who will bear the expenditure incurred on that?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, बलद्वाड़ा कॉलेज के भवन की पट्टिका तो मैंने रखी थी। आमतौर पर पूजन पट्टिका लगने से पहले होता है लेकिन किसी ने बाद में प्रार्थना की होगी, यह हो सकता है।

23.12.2016/1110/केएस/एएस/2

प्रश्न संख्याः 3264

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सूचना सभा पटल पर रख दी गई है और सूचना इतनी लम्बी है कि मुझे कागज रखने को ही जगह नहीं है। भाई रवि मेरे पुराने साथी हैं। हम डिज़िटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं। रोज़ भाषणों में यह कहा जाता है । इतनी लम्बी इन्फोर्मेशन मांगना और कागज़ों की वेस्टेज करना और विधान सभा का पैसा बर्बाद करना लोकहित में नहीं है। अगर ये डिज़िटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं तो कृपा करके इस तरफ तवज्ज़ो दें और मेरी सभी साथियों से यह अपील है। अध्यक्ष महोदय भी बार-बार यह कहते रहते हैं।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का जवाब सरकार की मन्शा जाहिर कर रहा है। सरकार जनता से जुड़े हुए विषय का यहां पर जवाब ही नहीं देना चाह रही है। हम इस सत्र में शुरू से यही विषय उठा रहे हैं और हमें कई विषयों पर यहां पर चर्चा करने का मौका नहीं मिला।

अध्यक्षः रवि जी, आप ऐसा मत कहिए। आप अपनी बात रखिए, आपको मौका दिया जा रहा है।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो मर्जी बोल जाए और हम कुछ न बोलें? एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर की हार्ड कॉपी हमें प्राप्त नहीं हई है। यह मंत्री महोदय ने अपने पास रखी है। हम बार-बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं। आपने ई-विधान किया है, हम इसका स्वागत करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं लेकिन हमें हार्ड कॉपी

चाहिए। हम अभी हार्ड कॉपी के बिना काम नहीं कर सकते। हमने कम्प्यूटर चलाना सीखा भी है, कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन हमारा आपसे बार-बार अनुरोध है कि हमें हार्ड कॉपी चाहिए।

23.12.2016/1110/केएस/एएस/3

अध्यक्ष जी, सही मायने में सूचना लम्बी है, इसीलिए तो हमें सूचना चाहिए थी। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि प्रदेश में वन विभाग द्वारा बनाए गए कुल रैस्टहाऊस 281 हैं और निरीक्षण हट्स 178 हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनकी जो रिज़र्वेशन है, आपने जवाब में कहा है कि या तो मण्डलाधिकारी करते हैं या अरण्यपाल करते हैं लेकिन जब भी हमें या हमारे माननीय सदस्यों को कहीं पर ठहरने की जरूरत पड़ी है, तो यही कहा जाता है कि इसकी बुकिंग पहले हो चुकी है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

23.12.2016/1115/av/as/1

प्रश्न संख्या : 3264--------- क्रमागत

श्री रविन्द्र सिंह--------- जारी

किसने की है तो बताया जाता है कि फॉरैस्ट कार्पोरेशन के चेयरमैन, वाईस चेयरमैन या मंत्री महोदय के किसी आदमी ने करवाई है। क्या इस प्रथा को बंद करने हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय या मंत्री जी आदेश करेंगे? महीना-महीना पहले पूछने पर भी यह बताया जाता है कि रिज़र्वेशन की हुई है और हमें मना कर दिया जाता है। दूसरे, यहां पर जो मंत्री जी ने जवाब दिया कि कुल 281 रैस्ट हाउस है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इनकी पिछले चार वर्षों के दौरान ऑक्युपैंसी क्या रही है? आपकी सूचना के अनुसार अभी तक आपके बिलासपुर में 4, मण्डी में 3, लाहौल-स्पिति में 1, चम्बा में 5, कांगड़ा में 2,

हमीरपुर में 2 और शिमला में 5 रैस्ट हाउस निर्माणाधीन हैं। इन 281 रैस्ट हाउसिज की ऑक्युपैंसी क्या रही तथा वन विभाग या सरकार को इनसे क्या इनकम हुई? क्या इनको आगे बनाने की आवश्यकता है या नहीं है? निरीक्षण हट के लिए हम मानते हैं कि वन विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों को जंगल में जाने का मौका मिलता होगा और उनके लिए वहां ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जो आपने हर जगह रैस्ट हाउस बनाने शुरू कर दिए यह जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? मेरे दो स्पेसिफिक प्रश्न हैं जिसमें मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप बुकिंग को सबके लिए ओपन करेंगे या केवलमात्र मंत्री, चेयरमैन, वाईस चेयरमैन या विभाग का कोई अधिकारी बुक करे वही होगा बाकी कोई नहीं होगा और पिछले चार वर्षों में आपकी ऑक्युपैंसी क्या रही?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह बोल रहे हैं कि रिज़र्वेशन का तरीका गलत है। This is a procedure. उसके मुताबिक ही रिज़र्वेशन होती है। इसकी डी0एफ0ओ0 और कन्ज़र्वेटर को पावर दी हुई है तथा शिमला में प्रिंसिपल, सी0सी0एफ0 करते हैं। अगर किसी को दिक्कत होती है तो कभी-कभी मुझे भी टेलीफोन कर देते हैं। लेकिन रवि भाई ने तो कभी टेलीफोन नहीं किया

23.12.2016/1115/av/as/2

और न ही मेरे दूसरे साथियों ने कभी टेलीफोन किया। जिनको दिक्कत होती है वही बोलेगा क्योंकि कुएं के पास प्यासा जाता है। रवि जी, मैं आपको एक बार का इनस्टान्स सुनाता हूं। I was an MLA मैं रात को हमीरपुर में लोक निर्माण विभाग के रैस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। आधी रात को आदरणीय धूमल जी आए, मैंने पूछा कौन है तो बताया गया कि धूमल साहब है। मैंने कहा कि ठहरने का प्रोपर अरेन्जमैंट कीजिए। लेकिन जब हम सत्ता से बाहर थे तो दिल्ली और चण्डीगढ़ में हिमाचल भवन में आप हमारे लोगों को बुकिंग तक नहीं देते थे और एक बेचारा छोटा सा वर्कर था जो आपकी पार्टी से सम्बंध रखता था। (---व्यवधान---) धूमल साहब, I am quoting an instance. He is criticizing मैंने उत्तर

नहीं देना, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? I will give you the answer, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं। आप बोलिए, आप हमीरपुर में ठहरे थे या नहीं ठहरे थे? (---व्यवधान---) My dear *Pradhan*, I know you. Behave yourself. हम कुछ नहीं चाहते, मैं जवाब दे रहा हूं। You are nobody to suppose, who the hell. आप (श्री सतपाल सिंह सत्ती) कौन हैं? आप क्या चीज़ है? मैं रवि जी का जवाब दे रहा हूं। You should not interfere. जब हम जवाब देते हैं तो इनको तकलीफ़ होती है। आप जब गलत काम करेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा। (---व्यवधान---) मैं ठीक बोल रहा हूं।

अध्यक्ष : आप बैठिए। आप लोग बैठ जाइए। (---व्यवधान---) मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे (---व्यवधान---) मैं आपसे निवेदन करूंगा कि (---व्यवधान---) मंत्री जी, एक मिनट। मंत्री जी, आप बैठ जाइए। (---व्यवधान---) मंत्री जी, एक मिनट। (---व्यवधान---)

श्री वर्मा द्वारा जारी

23.12.2016/1120/TCV/AG/1

प्रश्न संख्याः 3264 --- क्रमागत।

अध्यक्षः मेरी सभी माननीय सदस्यों से रिक्वैस्ट है कि ये क्वैश्चन ऑवर है और इसमें जो क्वैश्चन करता है, यदि उसको लगता है कि माननीय मंत्री गलत जवाब दे रहे हैं, तो वह इसके बारे में दोबारा पूछ सकता है। इसके लिए सारे उठकर डिस्कशन न करें। जो आप सभी एक साथ पूछ रहे हैं, वह श्री रविन्द्र सिंह जी भी माननीय मंत्री जी से पूछ सकते हैं, यदि मंत्री जी गलत कह रहे हैं। But there is no question of standing everybody. श्री रविन्द्र सिंह जी आप बोलिए।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न मैंने पूछा था, सरकार की ओर से उसका जवाब नहीं आया है और जो इन्होंने कहा वह माननीय मंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है। मंत्री महोदय की तलखी हम समझ सकते हैं कि उनको गुस्सा क्यों आ रहा है। ये हमें मालूम है। इनको गुस्सा क्यों आ रहा है, ये हम समझ सकते हैं। आज प्रादेशिक समाचारों में खबर आई है कि शिमला के जंगलों में आग लगी हुई है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बात की ओर ध्यान दें। माननीय अध्यक्ष महोदय आपके क्षेत्र पालमपुर में आग लगी हुई है और माननीय मंत्री महोदय यहां पर रेस्ट हाऊसों की बात कर रहे हैं। सर्दियों के मौसम में भी जंगलों में आग लगी हुई है और सारे-के-सारे जंगल जल गये हैं। लेकिन ये दिल्ली के रेस्ट हाऊस 'हिमाचल भवन' पहुंच गये हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमला करना ठीक नहीं है।

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय मुख्य मंत्री महोदय, अपने मंत्री पर नियंत्रण करिए।

मुख्य मंत्रीः जहां तक आप कह रहे हैं कि जंगलों में आग लगी है, आप जानते हैं कि पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई है, सूखा पड़ा हुआ है और आग के लिए मंत्री जी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है। यदि आग लग जाये, तो उसको बुझाना विभाग का काम है।

23.12.2016/1120/TCV/AG/2

श्री रविन्द्र सिंहः फिर किसको इस आग के लिए जिम्मेवार ठहराया जाये। इसका मतलब है, माननीय मुख्य मंत्री जी आप भी मिले हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश का क्या हाल है--- व्यवधान---।

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्यमंत्री)ः अध्यक्ष महोदय, हमने सूचना तैयार की है, 1000 पेजों से भी ज्यादा सूचना है। हम माननीय सदस्य को उपलब्ध करवाएंगे।

अध्यक्षः मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पता कर लीजिए की आग जंगलों में लगी है या दुकानों में लगी है। मेरी सूचना के अनुसार दुकानों में आग लगी है। आप वैरिफाई कर लें।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने पता कर लिया है, जंगलों में आग लगी है और ये जांच करना सरकार का काम है। --- व्यवधान---। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय अपने विभाग को छोड़कर जी0ए0डी0 में जाकर घुस गये हैं। ये दिल्ली में हिमाचल भवन में पहुंच गये हैं। दिल्ली में हिमाचल भवन में आजकल हमारे विधायकों का क्या हाल है, ये हम जानते हैं? 10-10 बार अधिकारियों को फोन करना पड़ता है, तब जाकर हिमाचल भवन में हमारी बुकिंग होती है। एक पी0ए0सी0 के चेयरमैन को 20-20 बार अधिकारियों को कहना पड़ता है, तब जाकर दिल्ली के हिमाचल भवन में बुकिंग होती है। इस तरह से सरकार ने तमाशा बनाया हुआ है। चण्डीगढ़ में भी सभी माननीय सदस्यों को बाहर होटलों में कमरा लेना पड़ता है। इनको जवाब देने से पहले सोचना चाहिए कि माननीय मंत्री महोदय क्या जवाब दे रहे हैं? ये सरकार की ओर से बोल रहे हैं, न कि चौराहे के ऊपर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। यहां पर जो बात कही जाएगी, वह जनता के हित की बात कही जाएगी। प्रश्न के जवाब का बड़ा बंडल बनकर आया है, तो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। इस सदन में प्रश्न करना हमारा दायित्व है।

Speaker: You can speak on general topic.

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि इन्होंने जो शब्द कहे हैं "go to hell" इनको एक्सपंज़ किया जाए। --- व्यवधान---।

23.12.2016/1120/TCV/AG/3

ये माननीय मंत्री महोदय ने कहा है। ये इसके लिए सौरी फील करें और इसको एक्सपंज किया जाये। --- व्यवधान---। इनको कहिए कि चुप रहिए नहीं तो मैं इनका चिट्ठा खोल दूंगा। मेरा आगे प्रश्न लगा हुआ है। मिड-हिमालय के नाम से एक ढकण और 3300/- रूपये की जैक्ट खरीदी गई है।

Forest Minister: What you are talking?

रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, लूट मची हुई है। ये (वन) तो प्रदेश का नम्बर-1 भ्रष्टाचारी महकमा बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा और जो मैंने प्रश्न किया था, मेरे उन दोनों अनुपूरक प्रश्नों का जवाब नहीं आया है। मैंने सवाल किया था कि पिछले चार सालों में वन विभाग के 281 रेस्ट हाऊसिज़ में हमारी ऑक्यूपैंसी क्या रही है? जो रेस्ट हाऊसिज़ निर्माणाधीन है और मैंने गिनवाए हैं तथा अरण्यपाल/ डी0एफ0ओ0 जो बुकिंग करते हैं, इनकी बुकिंग का क्राइटिरिया क्या है?

श्रीमती एन०एस० --- द्वारा जारी

23/12/2016/1125/NS/AG/1

प्रश्न संख्या : 3264------क्रमागत।

श्री रविन्द्र सिंह-----जारी।

कितने दिन के लिए बुकिंग करते हैं और कितने दिन पहले बुकिंग करवानी होती है तथा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? मंत्री महोदय मुझे कह रहे हैं कि आप मुझे फोन कर दिया करें। मैंने आपको दिल्ली में फोन किया और आपके पी.एस.ओ. साहिब ने फोन उठाया और कहा कि मैं आपकी बात करवाता हूं। यह एक महीने पहले की ही बात है लेकिन आपने मुझे आज तक रिसपोंड नहीं किया। यह मैं आपको ताज़ा रूझान दे रहा हूं। मुझे आवश्यकता थी इसलिए मैं आपको फोन कर रहा था। अध्यक्ष महोदय, मेरे दो मिनट बड़े स्पैस्फिक हैं। अगर आगे मंत्री महोदय ट्रैक से बाहर जाएंगे तो हमारे पास ओर भी बहुत कुछ है। पहले आप इन प्रश्नों का जवाब दें, फिर मैं आपसे आगे ओर पूछता हूं। (व्यवधान) देखिए, मैं आपसे (मंत्री महोदय) बड़ा स्पैस्फिक पूछ रहा हूं।

पिछले चार वर्षों में आपके 281 रेस्ट हाऊसिज़ में ऑक्यूपैंसी क्या रही है और इन रेस्ट हाऊसिज़ में बुकिंग का क्या क्राईटीरिया है? मंत्री महोदय आपका काम विभाग को देखना है न कि रेस्ट हाऊसिज़ की बुकिंग करना है। (व्यवधान) यह बुकिंग आप डी0एफ0ओ0 साहिब को ही करने दें। (व्यवधान)

Speaker: Please don't indulge in discussion otherwise I will call the next question. आप प्रश्न कीजिए This is wrong. (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे प्रश्न ही तो कर रहा हूं लेकिन मंत्री महोदय उस बात को समझ ही नहीं रहे हैं।

Speaker: Don't indulge in discussion?

श्री रविन्द्र सिंह : मेरा पहला प्रश्न यही था कि पिछले चार सालों में रेस्ट हाऊसिज़ की ऑक्यूपैंसी क्या रही है? दूसरा, यह काम कार्यपालिका का है न कि मंत्री महोदय का।

23/12/2016/1125/NS/AG/2

इनके विभाग की जो कार्यपालिका है, उनको इस काम को करना चाहिए और बुकिंग करनी चाहिए, जिस तरह पी.डब्लयू.डी. और आई.पी.एच. विभाग में अधीक्षक डिवीज़न में होते हैं और एक्सियन को पूछ कर बुकिंग कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ये ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपके वन विभाग के दफ्तरों में हर डिवीज़न में अधीक्षक बैठे हुए हैं, वे ही बुकिंग कर दें?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हर जगह ऐसी ही व्यवस्था है। अन्य रेस्ट हाऊसिज़ में कोई नई व्यवस्था पैदा नहीं कर दी गई है। जहां तक वन विभाग के इंस्पैक्शन्ज़ हट की बात है तो ये कोई कॉमर्शिलाईज़ नहीं थे। अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पैसा दिया और हमने उस पैसे से इनकी रिपेयर कर दी, प्रोपरली बना दिए। इसलिए मैं खुद वहां ठहरता हूं ताकि ये प्रोपरली मैंटेन रहें। हमारे कोई भी मेहमान चाहे वे गरीब हों या अमीर हों या मेरे

अन्य कुलीग आएं और वहां पर आकर ठहरें। अध्यक्ष महोदय, इसमें "फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व"को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर वहां पर कोई वी.आई.पी. आ जाता है तो मेरे जैसे छोटे आदमी को वह कमरा खाली करना पड़ता है। This is the procedure. और इंस्पैक्शन्ज़ हटज़ का आपने ज़िक्र किया These are meant for जो हमारे वन विभाग के ऑफिसर्ज़ या अन्य ऑफिसर्ज़ जो टूअर पर जाते हैं, कम-से-कम उनके ठहरने का प्रोपर अरेंजमैंट होना चाहिए। These are not commercial. पी.डब्लयू.डी. और आई.पी.एच. विभाग की तरह ये रेस्ट हाऊसिज़ कॉमर्शिलाईज़ नहीं हैं। पहले पी.डब्लयू.डी. और आई.पी.एच. विभाग के रेस्ट हाऊस नहीं होते थे इसलिए ये रेस्ट हाऊसिज़ बनाए गए हैं। अगर आप प्रदेश के अन्य स्थानों में जाएं तो वहां पर जाकर खुद देखिए कि वहां पर कितने रेस्ट हाऊसिज़ पुराने ज़माने के बने हुए हैं और उनको हमने मैंटेन किया है। चौपाल में केवल एक पी.डब्लयू.डी का रेस्ट हाऊस बना हुआ है जिसे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बनवाया है। अन्यथा जितने भी नेता लोग / लोग टुअर पर जाते थे तो वहां पर किसी के लिए भी कोई बंधन नहीं था। It is not politicalized. मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो आपकी मंशा है कृपया करके उसे भूल जाएं। It is not there. और क्या जवाब है यही जवाब है और जो प्रायारिटी में आता है उसको बुकिंग मिल जाती है। गरीब, अमीर

23/12/2016/1125/NS/AG/3

whosoever be आपकी मंशा शिमला जाने की है इसलिए आप जल्दी के लिए कोई-न-कोई बहाना बना रहे हैं। इसलिए आप यह सब कर रहे हैं।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मणिकर्ण घाटी में कसौल स्थित रेस्ट हाऊस के परिसर में टूरिज्म विभाग ने कुछ वर्ष पहले सल्फर बाथ बनाई थी। यह एक बड़े खेद का विषय है कि बिना अनुमति के इस जगह को टूरिज्म विभाग ने एक इज़रायल के व्यक्ति को लीज़ आऊट पर दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी सरकार के ध्यान में इस बात को ला चुका हूं और आपके व्यक्तिगत ध्यान में भी यह बात ला चुका हूं तथा आज फिर आपके ध्यान में ला रहा हूं कि उसकी लीज़

समाप्त हो गई है। अब लीज़ समाप्त होने पर क्या वन विभाग अपनी उस जगह को अपने कब्ज़े में लेगा ताकि वहां पर एक सुन्दर पार्क बनाया जाए? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ------जारी।

23.12.2016/1130/RKS/AS-1

प्रश्न संख्या 3264..... जारी

श्री महेश्वर सिंह जारी.....

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि हमारी भाषा नियंत्रित होनी चाहिए। मंत्री महोदय ने जोश में आकर एक बात कही है। यहां पर असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। Who the hell you are? इस भाषा को चैक करके इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए।

वन मंत्री : My dear महेश्वर सिंह जी, आप मेरे पुराने साथी हैं। यह सवाल आपने पहले भी किया था। जो आप अपने अन्य साथी सदस्यों की बात कर रहे हैं, मैंने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है, जिसमें अपशब्द हो। जब भाई रवि जी सप्लीमैंटरी कर रहे हैं Why you are interfering? क्या यह कोई नोटबंदी का मामला है कि इसमें इंटरफीयर करते जाओ? This is something very strange. जहां तक आप कसौल की बात कर रहे हैं, मैं स्वयं वहां पर गया हूं। मुख्य मंत्री जी के आदेशानुसार वहां पर आपका फंक्शन मैंने ही करवाया है और आपकी मदद भी की है। जो आप इसकी बात कर रहे हैं यह बहुत पहले टूरिज़्म डिपार्टमैंट को दिया हुआ है। This is the job of the Tourism Department. They

have to look after affairs. क्या फोरन का आदमी वहां पर रैस्टोरैंट नहीं चला सकता? अगर कोई वहां पर अनियमितताएं हैं than you can tell the Government. We can review that.

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को गोलमोल जवाब देना शोभा नहीं देता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वह भूमि, वन भूमि है? यदि हां, तो क्या वह भूमि विधिवत् रूप से टूरिज़्म डिपार्टमैंट को ट्रांसफर की गई है? यदि नहीं, तो आपको उस जगह को खाली करवाने का पूरा अधिकार है।

वन मंत्रीः माननीय सदस्य, आपने यह बात मेरे ध्यान में लाई, हम इसके ऊपर अमल करेंगे।

23.12.2016/1130/RKS/AS-2

प्रश्न संख्याः 3451

श्री नरेन्द्र ठाकुरः अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से एक छोटी सी सूचना मांगी थी कि इस प्रदेश में कितने डाउटफुल इंटिग्रिटी ऑफिसर्ज हैं? मैंने छः महीने पहले यह प्रश्न दिया था। इसके लिए सरकार ने सर्वे भी करवाया है, जिसकी लिस्ट इनके पास है। लेकिन जो जवाब इन्होंने आज दिया है कि Information is being collected, तो क्या छः महीनों से यह सूचना एकत्रित नहीं हुई है? मुझे तो शंका है कि सरकार इस सूचना को जानबूझकर छिपा रही है। क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला हुआ है कि डाउटफुट इंटिग्रिटी ऑफिसर्ज़ को सैंसटिव पोस्टों में नहीं लगाया जा सकता और सरकार ने सारे-के-सारे doubtful integrity officers सैंस्टिव पोस्टों में लगाए हुए हैं। पूरे प्रदेश में कुल 100-200 ऑफिसर्ज ही होंगे और यह एक छोटी सी सूचना है। लेकिन इस सूचना को छः महीने से

छुपाया जा रहा है, जोकि एक क्वैश्चन मार्क है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि यह सूचना क्यों नहीं दी जा रही है?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, the Hon'ble Member is casting needless aspersions. I don't like the tone and tenor of such questions. When I said information is being collected, I mean that.

23.12.2016/1130/RKS/AS-3

प्रश्न संख्याः3644

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के 'क' भाग में सूचना दी गई है कि प्रति माह चौपाल, नेरवा और कुपवी के लिए सिलेण्डर दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि एक साल पहले भी मेरा यही प्रश्न था

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

23.12.2016/1135/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 3644 ...जारी

श्री बलबीर सिंह वर्मा...जारी

और माननीय मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था कि चोपाल निर्वाचन क्षेत्र में सिलेंडर की कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 2 महीने पहले मैं चोपाल के दौरे पर था। वहां चाहे कुपवी हो, नेरवा हो या चोपाल का जितना भी दूर-दराज का क्षेत्र है,

उसमें 4-4 महीनों से लोगों को सिलेंडर नहीं मिले थे जिसके कारण त्राहि-त्राहि मची है। मंत्री महोदय, यह जनहित का मामला है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप इसमें जांच का आश्वासन दें और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आगे से सिलेंडर की कमी न आए, इसके लिए आश्वासन दें। 4-4 महीनों से जो सिलेंडर नहीं आ रहे हैं, वह किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में तो नहीं जा रहे हैं या कोई बीच में ही इन सिलेंडर्ज़ को ब्लैक तो नहीं कर रहा है? अगर आप इसकी जानकारी लेंगे तो पाएंगे कि इसमें बहुत बड़ा घपला हो रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोग सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं जिसके कारण मुझे भी बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती है क्योंकि इसके कारण निर्वाचन क्षेत्र में लोग इस बात का विरोध करते हैं। इसलिए जो वहां पर सिलेंडर 4 महीनों से नहीं आए, इसकी आप जांच करवाएं और आश्वासन दें कि आगे से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिलेंडर सुचारू रूप से आएंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगस्त और सितम्बर माह में सही में ही पीछे से ही सप्लाई कम हो रही थी। गैस एजैंसियां ही आगे सप्लाई करती हैं और उनकी तिथियों का कलैंडर पूरी तरह से तय है। माननीय विधायक जी जो बात कह रहे हैं उसे लेकर वह मेरे पास आए भी थे और यह इनकी समस्या है। इन्होंने यह एक सीरियस बात कही कि बीच में ही कहीं कोई घपला तो नहीं हो रहा है। लेकिन जो सूचना मेरे पास है उसके अनुसार दिसम्बर-जनवरी से रैगुलर सप्लाई होने की बात कही गई है। **I order the enquiry by the Director Food and Supplies immediately. She will go herself and enquire and submit report to the Secretary of the Department. We will look into that no delay will be done in future.**

23.12.2016/1135/SLS-AS-2

श्री बलबीर सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र एक छोर से दूसरे छोर तक 200 किलोमीटर के करीब है। यह बहुत ही दूर-दराज के इलाके हैं। मेरी कुछ पंचायतें उतरांचल में पड़ती हैं। मैं माननीय

मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि भविष्य में चोपाल में सिलेंडर की कमी न आए, इसके लिए आप आश्वासन दें।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसा आश्वासन तो नहीं दे सकता कि कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि सिलेंडर पीछे से आते हैं। इनकी सप्लाई पीछे से आती है। अगर पीछे ही कोई दिक्कत आ जाए तो सप्लाई नहीं हो सकती But we will try our best to put a more efficient checking system where we can find out that if there is any *Hera-feri,* and if it is, where it is lie . So far as the regular supply is concerned, I can't ensure. It will come from Indian Oil, HP or others. So whatsoever supply is available, that is made available for the people. **I have already ordered the highest level officer to enquire into the matter. The Director Food and Supplies will go and check the problem. If there will be any problem we will sort it out and I can assure the Member that Department will do the best to ensure the best supply.**

Speaker: But Chopal should not be targeted for this shortage.

23.12.2016/1135/SLS-AS-3

प्रश्न संख्या : 3645

श्री पवन काजल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि मेरा प्रश्न कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र में वोदर वल्ला सड़क पर पुल एवं रेलवे ओवर बृज (आरo ओo वीo) सहित, के बारे में था। इस पुल का 68 मीटर स्पैन है जिसको बने लगभग 9 साल हो गए हैं। इसकी अप्रोचिज भी बनकर तैयार हैं। लेकिन आरo ओo वीo के तहत एक और छोटा पुल बनना था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान

में लाना चाहूंगा कि मैं जब से विधायक बना हूं, मैंने तब से यह प्रश्न बार-बार पूछा है और अब यह चौथी बार है। इसका जो विभागीय उत्तर 2012-13 में आया था

जारी ...श्री गर्ग जी द्वारा

23/12/2016/1140/RG/AG/1

प्रश्न सं. 3645---क्रमागत

श्री पवन काजल-----क्रमागत

वह भी वही था और जो वर्ष 2013-14 में आया तथा जो वर्ष 2014-15 में आया, वह भी वही था।

अध्यक्ष महोदय, जो यह पुल बना उसमें लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये का खर्चा आया। जनता को इसका लाभ मिले और जो छोटा सा आर.ओ.वी. बृज बनना है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि जल्दी-से-जल्दी उसको बनाया जाए ताकि जनता को उसकी सुविधा मिले।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक हिमाचल प्रदेश सरकार या लोक निर्माण विभाग का प्रश्न है, इनकी तरफ से कोई कमी नहीं है, कोई देर नहीं है। जो भी देर है वह रेलवे की तरफ से है। वह पहले ऐस्टीमेट्स भेजते हें उसके बाद उस ऐस्टीमेट्स को बढ़ाकर भेजते हैं और बार-बार हमारे अधिकारी एवं कर्मचारी उनसे संपर्क भी साधे हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि जल्दी-से-जल्दी यह काम खत्म हो ताकि जिस मकसद से ये पुल बन रहे हैं उससे जनता को फायदा पहुंचे।
अध्यक्ष महोदय, मैं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्वयं कहूंगा कि वे बजाय उनसे पत्राचार या टेलिफोन करने के स्वयं संबंधित रेलवे कार्यालय में जाएं और वहां बैठकर इस मामले को सुलझाएं।

प्रश्न समाप्त

-/2

23/12/2016/1140/RG/AG/2

प्रश्न सं. 3646

श्री महेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, यह जो कामगार बोर्ड है इसमें दो किस्म के कामगारों को पंजीकृत किया जाता है। एक किस्म जो 'मनरेगा' में काम कर रहे हैं और दूसरा जो भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में काम करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जो कामगार पंजीकृत होते हैं उनका पंजीकरण क्या अधिनियम, 1948 के अधीन किया जाता है या फिर अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत किया जाता है या फिर अधिनियम, 1996 के मुताबिक किया जाता है?

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह कि जब इनका पंजीकरण हो जाता है, तो इन कामगारों को प्रोत्साहन के रूप में कुछ आईटम्ज दिए जाते हैं जिसमें कुछ इन्डक्शन चूल्हे दिए जाते हैं, कइयों को सोलर लैंप दिए जाते हैं, कइयों को बाइसाइकिल और कइयों को वाशिंग मशीन भी दी जाती है और कुछ लोगों को नकद पैसे भी दिए जाते हैं। इनको जो आईटम्ज दी जाती हैं उनकी कॉस्ट अलग-अलग होती है। जैसे इन्डक्शन हीटर 1900/-रुपये का, बाइसाइकिल 2600/-रुपये की, सोलर लैंप की कीमत कुछ और है और नकद में आपने 3000-3000/-रुपये भी इनको दिए हुए हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि ये जो 'मनरेगा' या सःनिर्माण में कामगार काम कर रहे हैं इनको जो आईटम्ज आप खरीदकर दे रहे हैं या ये जो आईटम्ज आपने ली हुई हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो प्रदेश में ई-टैण्डरिंग का सिस्टम शुरू किया हुआ है, तो क्या कारण है कि यह सारी ई-टैण्डरिंग न करके ये सारी आईटम्ज खरीदी जा रही हैं? घटिया किस्म की आईटम्ज हैं जो ज्यादा रेट में क्रय की जा रही हैं। क्या भविष्य में बोर्ड इन आईटम्ज को

एम.एस. द्वारा जारी

23/12/2016/1145/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 3646 क्रमागत----
श्री महेन्द्र सिंह जारी-------

खरीदने की बजाए क्योंकि जब आप कुछ लोगों को नकद पैसे दे रहे हैं तो इसमें डिस्पेरिटी क्यों हो कि किसी को 1900/-रुपये का इंडक्शन हीटर मिले, किसी को 2200/-रुपये का मिले और किसी को 2600/-रुपये की साइकिल मिले। तो क्यों न आप आज के परिपेक्ष्य में जितने भी कामगार इस प्रदेश के अंदर चाहे मनरेगा के हैं, चाहे वे भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड इत्यादि के हैं, उन सबको नकद के रूप में एक बराबर राशि दें, क्या विभाग या सरकार इस पर विचार करना चाहेगी?

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के बारे में पूछा है, मैं बताना चाहता हूं कि इसमें दो तरह के लोगों को लाभ मिल रहे हैं। एक मनरेगा के लोग हैं और एक भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य की मंशा इसमें मनरेगा के लोगों को जोड़ने को लेकर है। इसमें क्योंकि पैसा काफी है तो केन्द्र ने यह कहा है कि इसमें मनरेगा लेबर भी ऐड की जाए। इसलिए कन्स्ट्रक्शन के श्रमिकों के अलावा इसमें मनरेगा ऐड किया गया क्योंकि यह बोर्ड भी केन्द्र के कानून के तहत गठित हुआ है। इसलिए हम उनको फोलो करते हैं।

दूसरा जो आपने मसला उठाया है कि सबको कैश क्यों नहीं दे देते। इसके तहत कई योजनाएं हैं। मेरे पास कागज़ में जो सारी योजनाएं छपी हैं उनको मैं आपको उपलब्ध भी करवा दूंगा। जैसे महिलाओं को साइकिल देनी है। हालांकि शुरुआत में लोगों को पैसे दिए गए जैसे साइकिल एप्रौक्सिमेटली 3000/-रुपये की आती होगी तो लोगों को उस हिसाब से पैसे दिए गए। लेकिन जब बाद में पड़ताल करवाई गई तो एक भी महिला ने साइकिल नहीं खरीदी थी। इसलिए यह फैसला किया गया कि उनको साइकिल खरीदकर दी जाए। शुरुआती दौर में लोगों को पैसे मिले हैं। उसके बाद जब टैण्डर हुआ है तो साइकिल लगभग 2300- 2400/-रुपये के आसपास आ रही है। उसमें भी बचत 500-600/-रुपये की हुई है

23/12/2016/1145/MS/AG/2

क्योंकि पहले साइकिल के लिए 3000/-रुपये उनको मिलते थे और साइकिल खरीदी भी नहीं जाती थी। अब साइकिल का रेट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उनको साइकिल खरीदकर दी जा रही है।

माननीय सदस्य ने कहा कि सामान घटिया हो सकता है या घटिया है। मैं नहीं मानता कि माननीय सदस्य की यह बात किसी भी तरह से सही है। वॉशिंग मशीन जो महिलाओं को दी जा रही है वह एल0जी0 की फुली ऑटोमेटिक मशीन है। अब अगर एल0जी0 कम्पनी की वॉशिंग मशीन को आप घटिया बताएं तो यह सही नहीं है क्योंकि उसमें बाकायदा रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और सारे हिन्दुस्तान की कम्पनीज ने उसमें हिस्सा लिया था। उसके बाद बाजार रेट से लगभग 2000/-रुपये सस्ता उन्होंने हमारे साथ रेट कॉन्ट्रेक्ट किया है। बाजार में वे 8500/-रुपये की वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं और हमें उन्होंने 7,000/-रुपये की वॉशिंग मशीन दी। अगर हिमाचल के गांव के परिवेश में रह रही महिला को थापनी से निज़ात मिल जाए और उनको फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। कुछ चीजें जैसे आपने कहा कि इसमें क्या-क्या देते हैं तो इसमें इंडक्शन हीटर दिए जाते हैं और सोलर लैंप भी दिए जाते हैं। सोलर लैंप जैसे देने हैं तो हिम ऊर्जा के माध्यम से उनकी खरीद होती है। वह एजैंसी है। जो भी स्कीमें हैं जैसे अभी हमने स्कीम के तहत महिलाओं को मिक्सीज भी देनी हैं। तो ये सारी चीजें बाकायदा रेट कॉन्ट्रैक्ट करके दी जा रही हैं। मैं माननीय सदस्य की एक बात से सहमत हूं कि इसमें जो अभी तक एजैंसी काम कर रही थी, वे लेबर ऑफिसर्ज काम कर रहे थे। लेबर ऑफिसर्ज का काम बिल्कुल अलग है। उनके पास अपना बहुत काम है। इसलिए हमने मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था कि इस उपक्रम में जो इतना पैसा है

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

23.12.2016/1150/जेके/एएस/1

प्रश्न संख्याः 3646:----**जारी**----

उद्योग मंत्रीः-----**जारी**------

इसके लिए अलग से स्टाफ उपलब्ध करवाया जाए। पूरे जिलों में इनका अपना ऑफिस हो। अब हम इस मैटर को कैबिनैट में ले जा रहे हैं। लेबर वैल्फेयर ऑफिसर की पोस्ट हर जिला में क्रिएट करने जा रहे हैं। उसके साथ-साथ उनका पूरा स्टाफ भी क्रिएट किया जाएगा ताकि जो भी बेनिफिट्स गांवों में मिलने है उनको दिया जाए। 50 दिन का जिनका मनरेगा में समय हो जाता है उनको और 90 दिन का समय वर्कर्ज़ के लिए है उनको इसका जल्दी से फायदा मिले इसलिए हम जल्दी ही इनके अपने ऑफिसिज़ सैट अप कर देंगें।। एक बात मुझे आपसे जरूर कहनी है कि कुछ आपत्ति इस बात पर हो रही है कि फ्लां चीज़ फ्लां जगह पर मिली और फ्लां चीज़ फ्लां जगह पर नहीं मिली। इसमें जो भी विधायक अपने चुनाव क्षेत्र में दिलचस्पी लेगा वहां पर उसको वह चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। यह माननीय सदस्यों के लिए बहुत जरूरी है कि वे इस स्कीम में दिलचस्पी लें। हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जहां भी मनरेगा के 50 दिन पूरे होते हैं, उनको सिर्फ क्लेम करना है। जैसे कि आपने कहा कि किसी को हम वाशिंग मशीन दे रहे हैं, किसी को साईकिल दे रहे हैं और किसी को इन्डक्शन हीटर दे रहे हैं तो मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि जो आदमी जिस चीज का क्लेम भरता है, हमने तो सारी चीजें देनी है, लेकिन कोई साईकिल का क्लेम भरता है और कोई वाशिंग मशीन का क्लेम भर देता है तो उसको उस हिसाब से चीज दी जा रही है। आप उनको गाईड करो कि आप अपने पूरे क्लेम भरे और सारी चीजों के भरें उस हिसाब से उनको सारी की सारी चीजें उपलब्ध करवाई जाएगी।

अध्यक्षः माननीय सदस्य काफी हो गया और अब तो ज़वाब भी काफी इलेबोरेट हो गया है। ठीक है, बोलिए।

23.12.2016/1150/जेके/एएस/2

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन्होंने इस बात को खुद स्वीकार किया कि हम वाशिंग मशीन सात हजार में ले रहे हैं। दूसरे, आपके ही प्रश्न के उत्तर में आया है कि जो इन्डक्शन हीटर है,इंडक्शन चूल्हा है, उसकी कीमत

1900 से 2100 रूपए के बीच में है और साईकिल की कीमत भी पहले के ज़वाब में 2600 रूपए है। क्या आप इस बात को स्वयं महसूस कर रहे हैं कि इसमें एक विसंगति हो रही है, भेदभाव हो रहा है। आखिरकार चाहे वह कामगार मनरेगा का काम कर रहा है, चाहे वह भवन निर्माण का काम कर रहा है, उनके दिल में एक बात आती है कि हमें 1900 रु0 की चीज दे दी और उनको 7,000 रूपए की चीज दे रहे हैं। आप इस विसंगति को दूर करो। या ऐसा करो कि 1900 रु0 के, जब तक 7 हजार रु0 का अमाऊंट पूरा नहीं होता तो उनको आप तीन-चार-पांच इन्डक्शन चूल्हे दे दो या फिर आप इस उलझन में क्यों उलझे हुए हैं? इस खरीद-फरोख्त में आपको क्या लाभ-हानि है? हमें ऐसा लगता है और मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मनरेगा इसमें शामिल नहीं हो सकता था, भारत सरकार ने इसमें मनरेगा को शामिल किया। जो संनिर्माण है उसमें एक वर्ष में 90 दिन का कामगार होना चाहिए। लेकिन मनरेगा वालों के लिए भारत सरकार ने उसे घटा करके 50 दिन का कर दिया। यह सारे का सारा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है। आप कुछ व्यक्तियों को नगद पैसे दे रहे हैं। जब आप कुछ को नगद पैसे दे रहे हैं तो कुछ को आप इन आईटमों में क्यों उलझ रहे हैं? इसमें मंत्री जी हम आपके ऊपर शक नहीं करते, लेकिन एक चर्चा पूरे प्रदेश के अन्दर है कि बहुत ज्यादा खरीद-फरोख्त में इसमें घोटाला हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपके प्रश्न में जो ऑफिशियल खर्चा है वह इतना ज्यादा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि यहां पर प्रशासनिक मुख्यालय का खर्चा 2 करोड़ 15 लाख 24 हजार 766 रूपए हैं और आपने प्रचार व प्रसार पर 90 लाख 80 हजार 185 रूपए खर्च किए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जो संनिर्माण है, उसमें माननीय मंत्री जी जो सीटू

23.12.2016/1150/जेके/एएस/3

कामगारों को रजिस्ट्रेशन के लिए 50 दिन व 90 दिन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या आप उसकी जांच करवाएंगे? वह उन कामगारों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जो फैक्टरी में काम करते हैं। मैंने आपसे पूछा था और मेरा आपसे पहला प्रश्न भी था।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

23.12.2016/1155/SS/AS/1

प्रश्न संख्याः 3646 क्रमागत

श्री महेन्द्र सिंह क्रमागतः

आप इसमें 1952 का अधिनियम ले रहे हैं, 1948 का ले रहे हैं या 1996 का ले रहे हैं। अधिनियम, 1996 का है, न कि 1948 या 1952 का है। जब सीटू वाले दे रहे हैं और दूसरे दे रहे हैं तो वे जाली प्रमाण पत्र दे रहे हैं। जब वे जाली प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो मेरा माननीय मंत्री जी से यह जानना है कि क्या ऐसे कामगार, मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, जिन कामगारों को हजारों के हिसाब से सीटू ने सर्टिफिकेट दिये हुए हैं क्या आप उनकी जांच करवायेंगे कि क्या वाकई में उन्होंने फैक्टरियों में काम किया है या खान फैक्टरियों में काम किया है या सन्निर्माण भवन इत्यादि में काम किया है। जो सन्निर्माण भवन वगैरह हैं वह अलग हैं उसमें फैक्टरियों वाले नहीं आ सकते। वह फैक्टरी ऐक्ट अलग है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से जानना है कि जो सीटू वालों ने सर्टिफिकेट दिये हुए हैं क्या आप इनकी जांच करवायेंगे? दूसरा, आप इसमें क्यों उलझे हुए हैं कि हम खरीद करके ही आइटम देंगे। आप उनके खातों में पैसा डालने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं? इससे साफ झलकता है कि दाल में बीच में कुछ-न-कुछ काला है।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, कोई समय होता था जब दाल ही काली होती थी, अभी तो दाल में कुछ काला बता रहे हैं। लेकिन मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। छठी दफा चुन कर यहां आए हैं। इनको सारे मामले की जानकारी है। हम चाहते हैं कि घर में वाशिग मशीन हो। हम चाहते हैं कि उनके घर में सोलर लैम्प हो।

हम चाहते हैं कि उनके घर में साईकिल हो। आप पहले पैसा ही देते थे, जब पैसा दे रहे थे तो लोगों ने वे चीज़ें नहीं खरीदीं। पूरा सर्वे किया गया, पता करवाया गया कि लोग चीज़ नहीं खरीद रहे हैं। साईकिल्ज़ के लिए पैसा उनके अकाउंट में डाला लेकिन किसी ने साईकिल नहीं खरीदी। अब यह हो रहा है जैसे वाशिंग मशीन का टैंडर हुआ है, रेट कांट्रैक्ट हुआ है। सारे हिन्दुस्तान के लोग उसमें आए हैं। अगर एल0जी0 जैसे लोग आ रहे हैं तो आप क्या यह सोच रहे हैं कि वहां कोई घोटाला होगा। एल0जी0 जैसे लोग जिन्होंने कम्पीट किया, वे कम्पीट करके आए हैं। इसलिए किसी को एल0जी0 की मशीन मिल रही है और आपको यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मनरेगा की लेबर के जिस दिन 50 दिन पूरे होंगे तब उसको मिलेगी। दूसरों के जब 90 दिन पूरे होंगे, तब उसको मिलेगी। आप कह रहे हैं

23.12.2016/1155/SS/AS/2

कि उनको कैश दे दो और सामान नहीं दो जबकि मंशा तो किसी गरीब के घर में एक चीज़ उपलब्ध करवाने की है। आप इसकी बेसिक मंशा डिफीट करना चाहते हैं। बाकी आप कह रहे हैं कि हम कैश ही क्यों नहीं देते, अब अगर हम कहते हैं कि किसी का संस्कार होना है, हम उसको संस्कार के समय पैसा देते हैं। अगर किसी की बच्ची की शादी होनी है तो हम उसको शादी के लिए 25 हजार रुपया देते हैं। अगर किसी का इलाज होना है तो हम उसको कैश पैसा देते हैं। इस ढंग से जहां कैश की स्कीम चलनी है जैसे अस्पताल को पैसा जाना है, शादी के लिए पैसा जाना है, संस्कार के लिए पैसा जाना है, वहां पैसा ही जा रहा है। लेकिन जिन जगहों पर चीज़ें जानी हैं, मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं माननीय सदस्य कि आप अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस स्कीम के फायदों को जनता को बताओ। जो उनको फायदे मिलने हैं उनके क्लेम्ज़ भरवाओ। ऐसा नहीं है, सबकी कांस्टीचुऐंसी में 50 दिन पर वाशिंग मशीन मिलेगी या साईकिल मिलेगी। सिर्फ यह है कि आगे-पीछे हो सकता है कि किसी ने आज साईकिल ले ली, किसी ने कल वाशिंग मशीन ले ली और किसी ने परसों चूल्हा ले लिया। लेकिन मिलना तो सबको है जिनके 50 दिन पूरे हो गये, जिनके 90 दिन पूरे हो गये। बाकी इसकी जो नकद की स्कीमें हैं उन नकद स्कीमों की भी बहुत लम्बी लिस्ट है कि कहां-कहां नकद पैसा मिलना है। अब हम शादी पर 50 हजार रुपया देने लगे हैं। दो शादियों तक लगभग 50 हजार रुपया देना है लेकिन आपको निर्वाचन क्षेत्र में बताना पड़ेगा कि आप इसमें रजिस्टर्ड हैं और आपको 50 हजार रुपया मिल सकता है। आप बीमार हैं आपको इतना पैसा मिल सकता है। आपको परिवार के

सदस्य की डैथ के समय दो लाख रुपया मिल सकता है। पहले यह एक लाख रुपया था अब इसको दो लाख रुपया कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रचार में 90 लाख रुपया क्यों लग गया। जिस स्कीम में 400 करोड़ रुपया पड़ा हो उसमें 90 लाख रुपये का प्रचार कुछ भी नहीं है और इसका प्रचार हमको गांव-गलियों तक ले जाना पड़ेगा ताकि लोगों को गांव-गांव पता लग सके कि

जारी श्रीमती के0एस0

23.12.2016/1200/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 3646 जारी.....

उद्योग मंत्री जारी----

प्रदेश सरकार की ऐसी योजना है और जहां तक इनका यह कहना है कि सीटू के लोग सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, मैं माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि जो सीटू कर सकती है, वह आप और मैं नहीं कर सकते। आप और मुझे बहुत काम है यहां पर विधान सभा के अंदर भी और दूसरे भी हमने काम करने हैं लेकिन वे सारा दिन बैठकर फॉर्म ही भरते रहते हैं। हालांकि हम चैक करवा रहे हैं **और अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस का लगता है कि यहां पर आपको डाऊट है कि इसकी जांच होनी चाहिए, हम उसकी जांच करवा देंगें।**

श्री महेन्द्र सिंहः संनिर्माण भवन में जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, उसमें जो सीटू द्वारा सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं कि उन्होंने 90 दिन का काम फ्लां के पास किया हुआ है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि संनिर्माण भवन के अंदर जो सर्टिफिकेट्स सीटू दे रहा है कि इन कामगारों ने 90 दिन का काम किया हुआ है, क्या उसकी आप जांच करवाएंगें?

प्रश्नकाल समाप्त

23.12.2016/1200/केएस/एजी/2

अध्यक्षः कौंडल जी, क्या आप प्रश्न के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, हमारे तीन माननीय सदस्यों को इस विधान सभा से निलम्बित किया गया। वह इस माननीय सदन से निलम्बन है, दस्तखत करने के लिए निलम्बन है । कल भी उनको गेट पर रोक दिया गया। हमारे विधायक दल के नेता और हम सभी विधायक वहां गए, उनको ले कर साथ आए। आज भी उनको गेट पर रोक दिया गया। यह तानाशाही प्रवृत्ति क्या प्रजातंत्र में शोभा देती है? आपने उनका इस माननीय सदन से निलम्बन किया है, दस्तखत करने से किया है। क्या इस ढंग से प्रजातंत्र की रक्षा हो सकती है? आप इस हाऊस के संरक्षक है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुनिए। यह हाऊस का डिसिज़न है और आपको शायद ज्ञान नहीं है कि विधान सभा के प्रीमिसिज़ की परिभाषा क्या है? अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष जी, कल तो हम सभी माननीय विधायक उनको ले कर अंदर आए । आप यहां से निलम्बन कर सकते हैं। नियम के मुताबिक दस्तखत करने से रोक सकते हैं। यहां सारी जनता विधान सभा के अंदर आ रही है, पूर्व विधायक आ रहे हैं, उन सबके लिए रोक क्यों नहीं है।? दोहरा नियम ठीक नहीं है इसी ढंग से तो इस माननीय विधान सभा के अंदर झगड़ा हो रहा है। नियमों को ताक पर रख कर आप फैसला देते हैं। नियमों को बदल कर आप फैसला देते हैं ।इसी वजह से तो झगड़ा होता है और आपके नियम बदलने से सारी सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है।

अध्यक्षः आपको पता नहीं है, आप बैठ जाईए। Don't call it wrong? कोई नियम नहीं बदला मैंने। कौन सा नियम बदला? मैं यह कह रहा हूं कि विधान सभा के प्रीमिसिज़ की परिभाषा किताब में लिखी है और उसी के मुताबिक वहां उनको रोका जा रहा है। हम

उनको यह थोड़े ही कह रहे हैं कि आप बाजार में भी न घूमें। विधान सभा प्रीमिसिज़ गेट से होता है। (Interruption) You read the definition of the "Vidhan Sabha". आप पहले रूल्ज़ पढ़िए। मैंने कोई रूल चेंज नहीं किया । आप गलत कह रहे हैं।

23.12.2016/1200/केएस/एजी/3

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, एक तो जो आपकी परिभाषा है - suspension from the House i.e. they are debarred from participating in the discussion; coming to this House. How can you stop them at the gate?

Speaker: Sir, the definition of the House is upto the gate. This is in the rules.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष जी, आप बातों को बहुत बढ़ा रहे हैं।

अध्यक्षः मैं नहीं बढ़ा रहा हूं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः आपने अभी प्रश्न किया कि कौन से नियम तोड़े? आपको हमारे सदस्यों ने नोटिस दिया। नियम 62 कि तहत कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया । यह पहली बार इतिहास में हुआ है, 324 के नोटिस में तो हमने सुना था कि उत्तर दिए जाते थे। आपने डिस्अलाऊ कर दिया नियम 62 में।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

23.12.2016/1205/av/ag/1

प्रो0प्रेम कुमार धूमल--------- जारी

आपने 62 में डिसअलाउ कर दिया और उनको रिटन जवाब भेज दिए। तीन मैम्बर जिनके आज कॉलिंग अन्टैंशन मोशन थे उन्हें 62 में या तो अलाउ किया जाता या फिर अगर रिजैक्ट हो गये तो रिजैक्ट हो गये। After rejection you are sending the replies. आप इस हाउस में हर नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

अध्यक्ष : रिप्लाई भेजने का यह मतलब नहीं कि आप हाउस में डिस्कशन शुरू कर दें। Reply means whatever we have got from the Government, आपको वह कन्वे कर दिया है। If 62 is not admitted तो वह चर्चा में बिल्कुल नहीं आ सकता। वह ऐडमिट नहीं होगा और आपको रिप्लाई आ सकता है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : आज से पहले का रिकॉर्ड निकालिए और देखिए कि क्या कभी रिटन जवाब दिए गए।

अध्यक्ष : अगर रूल है तो दे सकते हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, हम तो एक बात समझते हैं कि अगर आपका मन सुनने या समझने का हो तब तो बात की जाए।

अध्यक्ष : मैं यहां पर सुनने के लिए बैठा हूं, आप बताइए।

प्रो0प्रेम कुमार धूमल : सुनने के बाद समझने की भी जरुरत होती है।

अध्यक्ष : मैं वह भी समझ रहा हूं, आप बताइए।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : आपने पहले हाउस की परिभाषा दी कि वह गेट तक हो गया। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने अधिकारियों को आदेश दीजिए कि उनको अन्दर आने दिया जाए। वे हाउस में न आए मगर कैम्पस में अपने अपोजिशन लाँज में बैठें। वे अपोजिशन लाँज में तो बैठ सकते हैं। इस तरह की डिक्टेटरशिप का तो हम विरोध करेंगे। मैंने आपसे पहले

23.12.2016/1205/av/ag/2

दिन निवेदन किया था कि एमरजैंसी की यादों को ताजा मत करो। आप जिस तरह के नियम लागू कर रहे हैं यह आपकी पर्सनैलिटी से इत्तफ़ाक ही नहीं रखते।

अध्यक्ष : धूमल साहब, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं। मेरी तरफ से ऐसी कोई इन्टैंशन नहीं है। I am acting according to the rules. एक मिनट, आप प्लीज बैठ जाइए। मेरा बनाया हुआ कोई रूल नहीं है, रूल आप लोगों ने बनाया है। The precincts of Vidhan Sabha (Tapovan), Dharamshala - Vidhan Sabha Bhawan Main Building, Ministerial Block, area from main reception gate, main gate in front of main building - this is the premises of the Vidhan Sabha. And when we say that somebody is expelled from Vidhan Sabha, यह परिभाषा आपने बनाई है। It is from the gate to the main building and ministerial block. This is not my creation. We have done it according to law. आप कह रहे हैं कि उनको बैठने दीजिए तो फिर सजा क्या हुई? आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं, मैं रूल फ्लॉट नहीं कर रहा हूं। आप तो यह कहना चाहते हैं कि मैं इन रूल्ज़ को फ्लॉट करके अपना रूल बना दूं। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि यह जो निर्णय लिया गया है यह बिल्कुल ठीक है।

प्रो0प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, आपने जो उनको नोटिस दिया है, you are suspended from the House.

Speaker: House means this.

Prof. Prem Kumar Dhumal: House means this House. Yes, this premises, not the premises outside.

Speaker: House means this. House means everything here.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : आपकी मन्शा यह है कि अपोजिशन वाले इस हाउस में न बैठे। आप जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। हम लगातार सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं मगर आप चाहते हैं कि यह हाउस ही न चले।

23.12.2016/1205/av/ag/3

अध्यक्ष : वह तो मुझे पता है कि you want to go out. मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं?

(---व्यवधान---)

प्रो0प्रेम कुमार धूमल : जब आपने नोटिस दिया था तो उसमें लिखना था कि आप इस गेट के अंदर नहीं आ सकते। (---व्यवधान---) आप उनके अन्दर आने से कहां डिस्टर्ब हो रहे हैं?

अध्यक्ष : **जब मैंने कह दिया कि** they cannot come into the House. हाउस की परिभाषा है कि फलां-फलां जगह नहीं आ सकते तो वह इसमें इनक्लूडिड है।

प्रो0प्रेम कुमार धूमल : आप अपना लैटर पढ़िए जो आपने लैटर दिया है।

अध्यक्ष : मैंने हाउस में लिखा है और हाउस का मतलब (---व्यवधान---) हाउस का मतलब गैलरी, अपोजिशन लॉंज है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, लैटर में आपने हाउस लिखा है प्रीमिसिज नहीं लिखा है।

अध्यक्ष : हाउस का मतलब यही होता है जो मैं पढ़ रहा हूं। (---व्यवधान---) यह मैंने थोड़े ही बनाये हैं।

श्री वर्मा द्वारा जारी

23.12.2016/1210/TCV/AG/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः लैटर में आपने हाऊस ही लिखा है, परमिसिस नहीं लिखा है।

अध्यक्षः हाऊस का मतलब यही होता है, जो मैं पढ़ रहा हूं। (--व्यवधान--) सुनिए A Member suspended under this rule shall forthwith withdraw from the precincts of the House. Precincts of the House mean House and its allied premises. (--व्यवधान--) ये मैंने थोड़े ही बनाया है। आपको मैं बता रहा हूं कि उनको सस्पैंड किया गया

है, इस हाऊस और परसिंग्ट से। Precinct is there from the gate upto the premises of the House. It is very clear. अब आप इसमें क्या कहना चाहते हैं।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, हाऊस के गेट और होते हैं और परमिसिस और होता है। Those are the gates of the premises. परमिसिस में आकर ऑपोजिशन के रूम में बैठना कैसे नाजायज़ है।

अध्यक्षः ऑपोजिशन का रूम भी परमिसिस में आता है। मिनिस्ट्रियल ब्लॉक कहां पर है? वह भी इसी में आता है। (--व्यवधान--) आप गलत मत करिए। Don't blame in a wrong thing? मैंने ये रूल पढ़ दिया है। अब भी आपको समझ नहीं आ रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूं, ये आपको समझ नहीं आ रहा है। (--व्यवधान--)

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, हम कम बोलते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम कुछ नहीं जानते हैं।

अध्यक्षः मैंने कब कहा कि आप नहीं जानते हैं?

श्री जय राम ठाकुरः मेरा इसमें आग्रह है कि बहुत विनम्र आग्रह ऑपोज़िशन के लीडर की ओर से आया और आप इस छोटी-सी बात को डैफिनेशन में रखकर उलझा रहे हैं। इससे आपकी मंशा ज़ाहिर होती है।

अध्यक्षः मंशा तो आपकी ज़ाहिर है।

23.12.2016/1210/TCV/AG/2

श्री जय राम ठाकुरः हमारी मंशा बड़ी साफ है। हम सहयोग देना चाहते हैं और हम सदन को चलाने के लिए पहले दिन से प्रयत्न कर रहे हैं कि कम-से-कम आपके सचिवालय की ओर से ऐसी कोई स्थिति न आये। (--व्यवधान--)

अध्यक्षः आप मुझे बताईये कि मुझे क्या करना है? मैंने आपको बता दिया है कि मैंने हाऊस कंडैक्ट करना है। आप जैसे मर्जी चाहते है, हाऊस को चलाईये। I have to conduct the House. (--व्यवधान--)

श्री जय राम ठाकुरः एक चिट्ठी आपके की तरफ से आती है और उसमें कह दिया जाता है कि विधान सभा के मुख्य प्रवेश द्वार से विधायक प्रवेश नहीं करेंगे, वे गेट न0 2 से प्रवेश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, उसका क्या औचित्य था? आपने बिना अर्थ, बिना मतलब की कुछ ऐसी चीजें शुरू कर दी हैं, जिसके कारण यह स्थिति निर्मित हुई है।

अध्यक्षः मैंने कनिविनियंट देख कर किया है, यदि कोई असुविधा हुई है, तो हमने उसको भी ठीक कर दिया है। (--व्यवधान--)

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुन लीजिए।

Speaker: I have to conduct the House according to rules. चलाना आपने है।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, कम-से-कम हमारी बात सुन लिया करें।

अध्यक्षः मैं सुन रहा हूं और उसका मैंने जवाब भी दे दिया है।

श्री जय राम ठाकुरः जवाब तो आप तब देंगे जब आप हमारी बात सुनेंगे और समझेंगे। हमें मुश्किल तो यह आ रही है कि आप न सुन पा रहे हैं और न ही समझ पा रहे हैं।

23.12.2016/1210/TCV/AG/3

अध्यक्षः माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

Health & Family Welfare Minister: Mr. Speaker, Sir, I think the unnecessary controversy has been started from the Opposition Benches. Our rules are very clear. The precincts of the Assembly mean all the four walls of the Assembly including outside this House. So, if you are interested to change the rules, which has been framed/adopted by this House, the House cannot adopt. You

have rightly quoted the rules which means the suspended Member of the House cannot enter in the precincts of the House. That is clear. If this House wants that they can enter or they can sit in the ground or Opposition Lobby then rule has to be amended.

श्रीमती एन०एस० --- द्वारा जारी

23/12/2016/1215/NS/AG/1

प्रो0प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय श्री कौल सिंह ठाकुर जी उठे तो हमें लगा कि शायद कोई विधायक के अधिकार और सम्मान की बात होगी। अभी हाल ही में लोकसभा के एक सदस्य को वीडिया फिल्म बनाने के लिए सस्पैंड किया गया था। वह सैंट्रल हॉल में जाता था और वहां पर प्रैस कॉन्फ्रैंस करता था लेकिन लोकसभा के हाऊस में एंटर नहीं कर पाता था, उसको पूरे हाऊस के लिए सस्पैंड किया गया था। अध्यक्ष महोदय, आपकी डैफिनिशन्ज़ बड़ी अज़ीब हैं। हम सोचते हैं कि वर्ष 2016 खत्म होने जा रहा है आने वाल वर्ष 2017 थोड़ा ठीक होगा लेकिन आप जिस तरह की नींव डाल रहे हैं (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय आप पहले सुन लीजिए।

अध्यक्षः (व्यवधान) यह नींव डालने का क्या मतलब है?

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : गेट नम्बर 1 जहां से सभी लोग आते हैं, हमें पहले वहां पर रोका गया और कहा कि एम0एल0एज़0 यहां से नहीं जाएंगे। आपके सचिवालय से एक लैटर ईश्यू हुआ था।

अध्यक्षः वह लैटर मैंने ही ईश्यू करवाया था। आप बोलिए।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : इसका मतलब यह है कि आप सब कुछ चेंज कर रहे हैं।

अध्यक्ष : मैं आपको यह कह रहा हूं कि वह सुविधाजनक (convenient) नहीं था इसलिए उसको बदल दिया गया था। (व्यवधान)

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आपने वैसा क्यों करवाया और उसका क्या कारण रहा था?

अध्यक्ष : हमने देखा कि सुविधाजनक होगा लेकिन उससे जब कोई सुविधा नहीं हुई तो हमने उसको चेंज कर दिया । (व्यवधान) अगर हम कोई डिसीज़न लेते हैं और बाद में

23/12/2016/1215/NS/AG/2

वह ठीक नहीं लगता है तो हम उसको चेंज़ भी कर सकते हैं। इसमें कौन-सी बुरी बात है। (व्यवधान)

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, जब से यह हाऊस बना है तब से उसी गेट से अंदर आते हैं।

Speaker: Arrangements are to be changed. कभी हमें ऐसे अरेंज़मैंटस करने पड़ते हैं। अगर वह असुविधाजनक होगा तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जब आपने मुझे टेलीफोन किया कि यह ठीक नहीं है तब मैंने उसको चेंज़ कर दिया।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, आईएसआई का उग्रवादी बंजार में बैठा रहा लेकिन एम0एल0एज़0 अंदर आते हैं तब आप सभी को खतरा पैदा हो जाता है, विधायकों के आने से खतरा पैदा हो जाता है। (व्यवधान)

Speaker: It is a question of discipline. मुझे उनसे खतरा क्यों होगा, वे सभी मेरे भी पूज्य हैं। ऐसी बात नहीं है।। also have regards for them.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप उनको गेट के अंदर आने की इज़ाज़त देते हैं कि नहीं देते हैं।

Speaker: As long as they stand expelled from here, they cannot be allowed.

Prof. Prem Kumar Dhumal: Then we have no justification of sitting in this House where the MLAs are insulted and treated like criminals. We don't want to sit in the House. We walk-out from the House.

Speaker: They are not insulted. They insulted the Chair.

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए)

23/12/2016/1215/NS/AG/3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सभी माननीय सदस्य बिना वजह ही इसे एक कारण बना रहे हैं क्योंकि इन्होंने शिमला जा करके कल गवर्नर महोदय को सरकार के खिलाफ चार्ज़शीट पेश करनी है। यह यहां से वादा करके जा रहे हैं।

Speaker, Sir, I fully endorse the stand taken by you. When any Member is expelled from the proceedings of the House, "he" or "she" can't enter the premises of the House. They can't sign any paper. They can't mark their attendance. They can't view the lobbies. This is a well-known parliamentary practice. I don't think the Leader of the Opposition is ignorant. He is pretending to be ignorant of the rules. "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे" इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके सदस्यों ने यह हरकत की और इस सदन का अपमान किया। नियमों को तोड़कर अध्यक्ष महोदय की कुर्सी पर बैठ गए और वहां से फ़तवा जारी कर दिया, "House adjourned". यह इनकी हिमाकत है और नेता प्रतिपक्ष बजाए इसके कि इसकी भर्त्सना करें या उनके सदस्यों द्वारा जो यह अवमानना हुई है, उसके लिए क्षमा मांगे इसके विपरीत

अध्यक्ष महोदय ये सदन को आंखे दिखा रहे हैं। Your action is absolutely according to the rules. You have stood your ground. We congratulate you for this.

श्री आर0के0एस0 द्वारा------जारी।

23.12.2016/1220/RKS/AS-1

Speaker: Before we proceed further in this proceedings, I would like to inform the House that the punishment which has been given to the three Hon'ble Members of this House was according to the Rules. They have indulged in such act which was derogatory to the dignity of the House. Therefore, they have been punished otherwise those three MLAs are also our colleagues. The punishment given to them was not due to any enmity against them. It was due to that the discipline to be maintained in this House. Otherwise when the discussion was started and every rule is mentioned in the book. We can't say this thing that we have done it intentionally. This was to just keep order in the House or dignity of the House that is more important than anything else. The members go on shouting against me, shouting against anything, I never took any cognizance of that. But just try to insult the House and dignity of the House is not kept in mind, than I will definitely take action. The property of the House has to be maintained. If the property is damaged, I will definitely take action. If the dignity of the House is lowered, I will take action. But personally there are so many things when the slogans are raised, I never took any action in four years. But now if you say that the rules are also framed by me, it is not correct. So my request is that in the matter of discipline we have to take this action and those MLAs those who are sitting outside, in the premises of the Assembly, they are also our colleagues. But they have gone out of the

discipline. Therefore, we inflicted this punishment on them. There is nothing malice. It is not the question that this side MLAs were punished and this side MLAs were not punished. Every Member is a Member for me. We will proceed further now.

23.12.2016/1220/RKS/AS-2

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्रीः मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन में हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5, वर्ष 2016 की प्रति सभा पटल रखता हूं।

23.12.2016/1220/RKS/AS-3

अध्यक्षः माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे?

Health & Family Welfare Minister: Sir, this is most unfortunate that the Members of the Opposition have staged a walk-out which is uncalled for because today they have violated the rules of the House which have been made and approved by the House. Hon'ble Leader of the Opposition quoted the example of the Central Hall of the Parliament where suspended Members of the Lok Sabya and Rajya Sabha can go and sit. But Parliament has separate rules, traditions and conditions. Our rules are different. Our rules say that a suspended Member from the House cannot enter within the precincts of the

House. So, your decision is right. Today again they agitated your decision which is in accordance with the rules of this Vidhan Sabha. So, we condemn this walk-out of the Opposition.

Chief Minister: This is uncalled for walk-out against your ruling. By itself it construes contempt of the House. They are all guilty of contempt of the House.

संसदीय कार्य मंत्री श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

23.12.2016/1225/SLS-AS-1

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 दिनों से समाचार-पत्रों में भी जो बात रखी गई है, मैं कहना चाहता हूं कि विधान सभा के रूल्ज और प्रोसीजर्ज़ में भी 12 नंबर पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी साल की शुरुआत में आप पीठासीन लोगों की एक सूची तय करेंगे। अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि आप इस सूची को तय करेंगे। उसी के अनुसार आपने यह सूची तय की है। कौल एंड शकधर के प्रोसीजर्ज़ में भी पेज संख्या 133 पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि स्पीकर जब कहेंगे, तभी कोई व्यक्ति आसन पर बैठ सकता है। इसलिए जो प्रचार बाहर किया जा रहा है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर न हो तो कोई भी व्यक्ति सीट पर बैठ सकता है, ऐसा नहीं है। रूल्ज में बिल्कुल स्पष्ट है कि सभापति तालिका में वर्णित व्यक्ति भी तभी बैठ सकता है जब आपने उसको अधिकृत किया हो। सैल्फ-स्टाइल तरीके से कोई भी आपकी सीट पर नहीं बैठ सकता। इसलिए आपने किसी को अधिकृत नहीं किया था। आपके बिना कहे सुरेश भारद्वाज जी जाकर आपकी पीठ पर बैठे। यह पीठ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी गरिमा और प्रैस्टिज को बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने जो भी किया है, आपने हिमाचल प्रदेश विधान सभा की गरिमा, इसका उच्च परंपराओं और इसके गौरव को ध्यान में रखते हुए ही जो भी कार्रवाई की है वह पूरी तरह जस्टिफाइड है। आने वाले समय में भी लोगों को यह पता रहे

कि स्पीकर का आसन कितना महत्वपूर्ण है और स्पीकर के पद की गरिमा का किस ढंग से ख़याल रखा जाना चाहिए। इसलिए यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी जाए कि कोई भी व्यक्ति बिना स्पीकर की इज़ाज़त के इस आसन पर विराजमान नहीं हो सकता।

इसी के साथ नियम-347 में यह बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा है कि No decision of the Speaker in respect of disallowance of any resolution, motion or question or in respect of any other notice shall be questioned.

इसका मतलब है कि आपके द्वारा दिए गए फ़ैसले को इस सदन में कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। जिस तरह से इन लोगों ने आप पर आरोप लगाने का प्रयास किया है, जिस ढंग से आपको चुनौती देने की कोशिश की है, यह इस सदन की उच्च

23.12.2016/1225/SLS-AS-2

परंपराओं से खिलवाड़ करने का प्रयास है। हम आपके फ़ैसले से सहमत हैं। आपने जो 3 सदस्यों को बाहर किया, हाऊस ने उस पर मोहर लगाई है। इससे आने वाले समय के लिए भी सभी सदस्यों को यह पता लग गया है कि स्पीकर के आसन पर चढ़कर नारेबाजी कहीं भी सही नहीं है। न यह कभी लोकसभा में हुआ न राज्यसभा में हुआ और न ही किसी असैंबली में हुआ। सचिव के आसन तक तो लोग जाते थे लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि अब लोग, जिन्हें जनता हिमाचल प्रदेश को रिप्रजैंट करने, मुद्दे उठाने के लिए, चर्चाएं और बहस करने के लिए चुनकर भेज रही है, वह आपके आसन तक जाकर नारे लगाने लग पड़े हैं। आपने सदन की गरिमा को बचाया है जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

23.12.2016/1225/SLS-AS-3

अध्यक्ष : अब माननीय वन मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित का 40वां वार्षिक

प्रतिवेदन एवं लेखों, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

23.12.2016/1225/SLS-AS-4

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री राकेश कालिया, सदस्य, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं -

i. समिति के **262वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 18वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **79वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 112वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर भी रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर भी रखती हूं :-

i. समिति का **64वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) में शामिल ऑडिट पैरा संख्या:3.4 से 3.7 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है;

23.12.2016/1225/SLS-AS-5

ii. समिति का **65वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 24वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित** से सम्बन्धित है; और

iii. समिति के **13वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 68वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित** से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

जारी ...श्री गर्ग जी द्वारा

23/12/2016/1230/RG/AS/1

अध्यक्ष महोदय के पश्चात

श्री खूब राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति का **31वां मूल प्रतिवेदन** जोकि प्रदेश में संचालित वृद्धावस्था पेन्शन योजना तथा वृद्धों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की गतिविधियों की संविक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता**

विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री कुलदीप कुमार, सदस्य, मानव विकास समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति का **21वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **आयुर्वेद विभाग** से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

23/12/2016/1230/RG/AS/2

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-62 के अन्तर्गत दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री विजय अग्निहोत्री जी एवं श्री गोविन्द राम शर्मा जी के हैं, परन्तु ये दोनों माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं।

23/12/2016/1230/RG/AS/3

मन्त्री द्वारा वक्तव्यः

अध्यक्ष : अब माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को विधान सभा में उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3566 से सम्बन्धित अतिरिक्त सूचना बारे वक्तव्य देंगी।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं तारांकित विधान सभा प्रश्न सं. 3566 जोकि श्री सुरेश कुमार (पच्छाद) द्वारा पूछा गया है तथा दिनांक 20-12-2016 को निर्धारित

हो चुका था, के संबंध में निम्न अतिरिक्त सूचना आपकी अनुमति से सदन में प्रस्तुत कर रही हूं।

उठाऊ सिंचाई योजना, चन्दोल का कार्य वर्ष 2007 में शुरू किया गया था तथा योजना को फरवरी, 2014 में पूर्ण कर लिया गया था। इस योजना पर अभी तक 147.93 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। जुलाई, 2014 व अगस्त, 2015 में भारी भूस्खलन के कारण इस योजना की वितरण प्रणाली बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसके कारण यह योजना बन्द पड़ी है। इस वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना के लिए बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है। इस योजना को पुनः चालू करने के लिए 30 लाख रुपये की आवश्यकता है। इस योजना को पुनः चालू करना बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

23/12/2016/1230/RG/AS/4

अध्यक्ष : अब माननीय वन मंत्री चौपाल के गांव में लगी आग के बारे में वक्तव्य देंगे।

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, चौपाल में हुई आग की घटना पर इस सदन को मैं अवगत करवाना चाहता हूं। दिनांक 21 एवं 22 की रात्रि में चौपाल वन मण्डल के बम्टा रेंज में झिकनी पुल के निकट झूरू नाला के समीप सड़क में आग लगने की घटना हुई है। यह आग यहां से निकटवर्ती बगीचे व घासनी में फैल गई। आग को वन विभाग के कर्मचारियों व स्थानीय लोगों द्वारा 21 तारीख को रात 11.00 बजे तक बुझा दिया गया। रात 2.00 बजे आग वृक्षों के पुराने मूंडों से फिर से लग गई और तेजी से निकटवर्ती गांव घोरला में फैल गई। आग से गांव के 13 मकान व 7 गऊशाला व स्टोर जल गए। इस नुकसान का वित्तीय आकलन किया जा रहा है।

वन विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में लगाया गया 20 हैक्टेयर पौधरोपण क्षेत्र भी इस आग में जल गया है। वन विभाग का स्टाफ 22 तारीख को प्रातः 4.00 बजे फिर से मौके पर पहुंच गया व आग बुझाने में जुट गया।

एम.एस. द्वारा जारी

23/12/2016/1235/MS/AS/1

वन मंत्री जारी----------

जले हुए 13 मकानों के मालिकों को मौके पर ही वन-मण्डलाधिकारी, चौपाल द्वारा 2-2 वृक्ष टी0डी0 में स्वीकृत कर दिए गए तथा सात जली हुई गौशालाओं व स्टोर के मालिकों को भी एक-एक वृक्ष टी0डी0 में स्वीकृत कर दिया गया है। अगर इसके अलावा उनको और भी जरूरत पड़ती है तो विभाग को आदेश दिए गए हैं कि उनको एकॉर्डिंग टू नीड और लकड़ी दी जाए क्योंकि सर्दी का मौसम है और कभी भी बर्फ पड़ सकती है। इसी चीज को मध्य-नज़र रखते हुए सरकार ने ऐसे आदेश कर दिए हैं। प्रभावितों को तीन दिन का राशन भी वन विभाग द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिस प्रभावित व्यक्ति को आवश्यकता है उन्हें अल्प अवधि के लिए रोज़गार दिया जा रहा है तथा घटना की पुलिस में आज एफ0आई0आर0 दर्ज़ करवाई जा रही है। धन्यवाद।

23/12/2016/1235/MS/AS/2

विधायी कार्यः

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22)' पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22)' पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22)' पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22)' पर विचार किया जाए?

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 विधयेक का अंग बनें?

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

खण्ड-2 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

23/12/2016/1235/MS/AS/3

अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22)' को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22)' को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22)' को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22)' को पारित किया जाए।

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

'हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22)' पारित हुआ।

23/12/2016/1235/MS/AS/4

अध्यक्षः अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23)' पर विचार किया जाए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23)' पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23)' पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23)' पर विचार किया जाए।

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 विधेयक का अंग बनें?

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

खण्ड-2 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक अंग बनें?

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23)' को पारित किया जाए।

मंत्री जी श्री जे0एस0 द्वारा----

23.12.2016/1240/जेके/एएस/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23) पारित हुआ।

23.12.2016/1240/जेके/एएस/2

अध्यक्षः अब माननीय शहरी विकास मंत्री द्वारा प्राधिकृत उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) पर विचार किया जाए।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार।

खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार।

खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

23.12.2016/1240/जेके/एएस/3

अब माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) को पारित किया किया जाए।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) पारित हुआ।

23.12.2016/1240/जेके/एएस/4

अध्यक्षः अब आबकारी एवं कराधान मंत्री द्वारा प्राधिकृत समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) पर विचार किया जाए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अब बिल पर खंडशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खंड 2,3 और 4 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार।

खंड 2,3 और 4 विधेयक के अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार।

खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

23.12.2016/1240/जेके/एएस/5

अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) को पारित किया जाए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) पारित हुआ।

अगला बिल एस0एस0 द्वारा जारी---

23.12.2016/1245/SS/AG/1

अध्यक्ष क्रमागतः

अब माननीय आबकारी एवं कराधान मन्त्री द्वारा प्राधिकृत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 25) पर विचार किया जाए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 25) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 25) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 25) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-2 विधेयक का अंग बना।

23.12.2016/1245/SS/AG/2

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 25) को पारित किया जाए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 25) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 25) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 25) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 25) पारित हुआ।

23.12.2016/1245/SS/AG/3

<u>नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख</u>

अध्यक्षः अब नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख होंगे। सभी संबंधित माननीय सदस्य अनुपस्थित।

अब इस माननीय सदन में चर्चा हेतु कोई भी विषय नहीं रहा है और आज सत्र का आखिरी दिन है। इससे पहले कि मैं आपका अभिवादन और धन्यवाद करूं क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय कुछ बोलना चाहेंगे?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वर्तमान विधान सभा का हमारा जो सत्र इस माननीय सदन में होता है वह आखिरी सत्र होगा क्योंकि इसके बाद सत्र शिमला में होगा और मैं समझता हूं कि जिस मकसद से हमारी सरकार ने धर्मशाला में विधान सभा भवन का निर्माण किया था वह मकसद काफी हद तक पूरा हुआ है। वह मकसद था, लोगों के अंदर भावनात्मक एकता पैदा करना ताकि सभी लोग महसूस करें कि हम हिमाचल के निवासी हैं और मिलकर इस प्रदेश का विकास करें तथा इसको आगे ले जाने के लिए काम करें।

जारी श्रीमती के0एस0

23.12.2016/1250/केएस/एएस/1

मुख्य मंत्री जारी----

हिमाचल बनने के बाद कुछ सियासी पार्टियों ने एक रूख अपनाया जो कि प्रदेश की एकता और अखण्डता के खिलाफ जाता था और उन्होंने नया हिमाचल, पुराना हिमाचल, ऊपर

के पहाड़, नीचे के पहाड़ जैसे नारे दिए तो हमने सोचा, हमारी सरकार ने सोचा कि प्रदेश की एकता के लिए यह आवश्यक है कि हम इस जहरीले प्रचार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं और उसका परिणाम हुआ इस विधान सभा का यहां पर भवन बनाना और शीतकाल में विधान सभा का सत्र इसमें चलाना। आज वह ज्वाला जो कभी भड़काई जा रही थी, इस प्रदेश की एकता और अखण्डता के लिए जो खतरा पैदा हो गया था, वह आज नहीं है। इक्का-दुक्का लोग हैं जो आज भी यह राग अलापते हैं मगर समूचे हिमाचल प्रदेश के अंदर आज एकता की लहर है। सभी को हिमाचल के ऊपर गर्व है। सभी हिमाचल को अपना प्रदेश मानते हैं और प्रदेश की तरक्की और विकास के लिए रात-दिन काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो सत्र है, वर्तमान सत्र की हमेशा कुछ मीठी और कुछ कड़वी यादें हमारे मन में बनी रहेगी। आपने बहुत ही संजीदगी के साथ, विदुरता के साथ इस सदन का संचालन किया है। सदन की गरिमा को बनाए रखना सदन के दोनों पक्षों का काम है। मैं समझता हूं कि पिछले कुछ सत्रों के दौरान हमारे विपक्ष ने जो उनका रवैया होना चाहिए था या उनका इस सदन की कार्यवाही को चलाने में और इस सदन की गरिमा को कायम रखने में जो उनका योगदान होना चाहिए था, वह नहीं मिला। विपक्ष का मतलब यह नहीं होता कि वह विधान सभा के अंदर खलल पैदा करें, यहां की अवमानना करें। अध्यक्ष महोदय की अवमानना करें। यहां की परम्पराओं और नियमों को तोड़ें और इस सदन के अंदर जो बेहूदगी का प्रदर्शन जो उन्होंने किया, मैं समझता हूं वह शर्मनाक है। विपक्ष की तरफ से एक भी व्यक्ति ने उसके लिए क्षमा याचना नहीं की क्योंकि यह इन सबकी शय से हुआ। चेयर के सामने, स्पीकार के सामने घेरा लगाना, फिर ऊपर चढ़ना और फिर स्पीकर की कुर्सी पर बैठना, यह मैंने पहली बार देखा है। मुझे अपने लम्बे राजनीतिक करियर में

23.12.2016/1250/केएस/एएस/2

कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला । स्पीकर की चेयर के सामने तो खड़े होते रहे हैं मगर किसी ने स्पीकर की चेयर तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। यह अब की बार हुआ और एक सदस्य ने तो अपनी बद्तमीज़ी का सबूत दिया, प्रजातांत्रिक प्रणाली में आस्था नहीं रखने का सबूत दिया और

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

23.12.2016/1255/av/ag/1/

मुख्य मंत्री--------- **जारी**

और खुद जाकर स्पीकर की कुर्सी पर बैठ गए। वहां से कहा कि I adjourn the House. मैं यहां पर खुद बैठा था जब यह सब कुछ हुआ। बड़ी शर्म की बात है। आपने और हाउस ने जो उनको दण्डित किया, उनको दो दिन के लिए सदन की कार्यवाही से निष्कासित किया यह इस परिस्थिति के अंदर न्यूनतम सजा थी जो दी जा सकती थी। मगर इसके बावजूद विपक्ष की ओर से किसी ने उसके लिए क्षमायाचना नहीं की। किसी ने भी यह नहीं कहा कि हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसा न हो। बल्कि जो उल्टा काम किया है उसको ही तरज़ीह दे रहे हैं जो कि प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। पक्ष और विपक्ष बदलते रहते हैं। विपक्ष की तरफ से यहां पर एक गलत परम्परा शुरू की गई है जिसकी मैं और हमारा दल भर्त्सना करता है। कितने भी मतभेद हो, कितनी भी बड़ी चर्चा हो, कभी-कभी चर्चा के अंदर कुछ बातें हो जाती हैं। मगर हर आदमी को अपनी सीमा का ख्याल रखना चाहिए और उन सीमाओं को लांघना नहीं चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने हाउस में इस स्थिति को अच्छी तरह से सम्भाला और सदन के अंदर प्रजातंत्र की उच्चतम परम्पराओं का ध्यान रखते हुए उन्हें कायम रखा जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आज सत्र का आखिरी दिन है और बहुत जल्दी यह सत्र खत्म

होने जा रहा है। मैं अपनी ओर से आपको, आपके स्टाफ को तथा सारे सरकारी अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने इस सत्र को कामयाब बनाने में योगदान दिया उनको मैं बधाई देना चाहता हूं।

साथ में, मैं अपनी ओर से, हिमाचल सरकार की ओर से तथा अपने सभी साथियों की ओर से प्रदेशवासियों को नये साल की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।

23.12.2016/1255/av/ag/12

अध्यक्ष : इस सत्र की 5 बैठकें आयेाजित हुई। बैठकों के दौरान जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा एवं वाद-विवाद हुआ। माननीय सदस्यों ने जो चर्चा के विषय उठाये और जो सार्थक सुझाव दिए उनके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मैं मान्य सदन को सूचित करना चाहता हूं कि विधान सभा सचिवालय में ई-विधान के शुरू होने पर माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग के कारण इस सत्र में सरकारी विभागों द्वारा प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन ही उपलब्ध करवाये गये तथा उत्तर की एक भी हार्ड कॉपी नहीं ली गई है।

नियम 101 के अंतर्गत 2 गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए गए। उनमें से एक संकल्प पर सार्थक चर्चा की गई और दूसरा संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया, जिस पर चर्चा सदन के निर्णय के अनुसार आगामी सत्र में की जायेगी।

श्री वर्मा द्वारा जारी

23.12.2016/1300/TCV/AS/1

माननीय अध्यक्ष ---- जारी।

नियम -130 के अन्तर्गत प्रदेश हित से जुड़े महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई तथा बहुमुल्य सुझाव दिए गए। इस सत्र के दौरान कुल मिलाकर 248 तारांकित तथा 120 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए।

5 सरकारी विधेयक भी सभा में पुरःस्थापित एवं पारित किये गये। नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 2 विषय सदन में उठाये गये तथा सरकार द्वारा इस संबंध में वस्तुस्थिति की सूचना सदन को दी गई। समितितियों के भी 24 प्रतिवेदन सभा में उपःस्थापित किये गये।

इसके अतिरिक्त मन्त्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे गए।

अन्त में मैं आप सभी का धन्यवादी हूं कि आपने सभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग दिया। विशेष तौर पर सदन के माननीय नेता श्री वीरभद्र सिंह और प्रो0 प्रेम कुमार धूमल माननीय नेता विपक्ष (जो अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं) का खासतौर पर धन्यवादी हूं, उन्होंने इस सदन के संचालन में सहयोग और मार्ग दर्शन दिया। माननीय मंत्रीगण एवं सदस्यों द्वारा भी सदन के संचालन में मुझे सहयोग दिया गया है।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय का भी आभारी हूं जिन्होंने सदन के संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग दिया। प्रेस के बन्धुओं और प्रिन्ट मिडिया के साथियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं ।

हमारे विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों एवं सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन-रात सेवाएं दी, वे भी प्रशंसनीय है। मैं सभी की ओर से क्रिसमस एवं नव वर्ष, 2017 की बधाई व शुभकामनाएं देता हूं।

23.12.2016/1300/TCV/AS/2

इससे पूर्व कि मैं सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करूं, इस सभा में उपस्थित सभी से मेरा निवेदन है कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

(सदन में उपस्थित सभी राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए)

अब इस माननीय सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव।

तपोवन-176215.
दिनांकः 23.12.2016